न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी यज्ञ मित्र सिंहदेव, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 53/2018/अपील

पेमाराम पुत्र दोलाराम, जाति जाट, निवासी स्वामी की ढ़ाणी, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर (राज0)। अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार फतेहपुर जिला –सीकर।

रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः–

1. श्री नसीर अहमद अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरूद्व निर्णय दिनांक 28.02.2018 द्वारा तहसीलदार, फतेहपुर

निर्णय

निर्णय दिनांकः 22 अक्टूबर, 2019

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है किः–

(1) पटवारी हल्का दांतरू द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कतई गलत तथ्यों के आधार पर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि ग्राम स्वामी की ढ़ाणी तहसील फतेहपुर जिला सीकर के खसरा नम्बर 87 रकबा 0.01 हैक्टेयर पर अपीलान्ट द्वारा नाजायज कब्जा कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जवाब व साक्ष्य लिये ही दिनांक 29.02.2016 को इकतरफा बिना सुनवाई का मौका दिये ही अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुए मौके ये बेदखल करने की आज्ञा पारित कर दी। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई। जिसका निर्णय दिनांक 04.12.2017 को किया जाकर रेस्पोडेन्ट को इस आदेश के साथ रिमाण्ड की गई कि अपीलान्ट की पैतृक पट्टेशुदा भूमि का सीमाज्ञान करवाते हुए संदर्भित विवादित भूमि के प्रकरण का दो माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करें।

(2) उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर गिरदावर हल्का से रिपोर्ट मंगवाई गई। गिरदावर व पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट को जिस भूमि का पट्टा दिया गया था उसके सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई। पट्टा दिनांक 19.12.1978 को 755 वर्गगज भूमि का खसरा नम्बर 359/1 में से रेस्पोडेन्ट द्वारा जारी किया गया था। हल्का पटवारी व गिरदावर ने अपनी रिपोर्ट के पैरा संख्या 3 में यह अंकित किया गया है कि पट्टे का स्थान अंकित नहीं है सिर्फ खसरा

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

नम्बर 359/1 अंकित है तथा मद संख्या 4, 5, 6 में विवाद की विषयवस्तु से सम्बन्धित बातें नहीं लिखकर विभागीय शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए अदालत को गुमराह करने की गरज से अनावश्यक तथ्यों का अंकन किया गया है।

(3) हल्का पटवारी शिकायतकर्त्ता घासीराम से मिला हुआ है और उससे मिलीभगत करके अपीलान्ट के विरूद्व पहले रिपोर्ट पेश की थी तथा अब विवादित सम्पदा के सम्बन्ध में रिपोर्ट नहीं देकर अनावश्यक तथ्यों का अंकन करते हुए रिपोर्ट पेश की है तथा सीमाज्ञान के बारे में नया आदेश जारी करने का अंकन करते रिपोर्ट पेश कर दी। उक्त रिपोर्ट को आधार मानते अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2018 को अपीलान्ट के खिलाफ निर्णय करते हुए नायब तहसीलदार फतेहपुर के निर्णय दिनांक 29.02.2016 की पुष्टि कर दी।

(4) वादग्रस्त भूखण्ड का दोलाराम पुत्र खींवाराम का पट्टा सन 1978 में जारी किया हुआ है। दौलाराम अपीलान्ट का पिता है। उक्त पट्टा खसरा नम्बर 359/1 में 755 वर्गगज दिया हुआ है। उक्त पट्टा तहसीलदार फतेहपुर द्वारा विधिवत रूप से जारी किया हुआ है। इसके अलावा पट्टा संख्या 37 ग्राम पंचायत दातरू द्वारा स्वामी की ढ़ाणी में 150 वर्गगज का पट्टा दिनांक 29.01.1975 को अपीलान्ट की माता शांति देवी के नाम से जारी किया हुआ है। उक्त दोनों पट्टे विधिवत रूप से शुल्क लेकर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये हुए हैं लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने एक पंक्ति लिखकर कि पट्टा दूसरी जगह का है, लिखकर अपीलान्ट के विरूद्व बेदखली के आदेश पारित कर दिया।

(5) पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह अंकन नहीं है कि जो नाजायज कब्जा बताया गया है वह पट्टेशुदा जमीन से अलग है तथा ना ही इस संदर्भ में पटवारी द्वारा कोई साक्ष्य पेश किया गया है और ना ही पटवारी के बयान लिये गये हैं। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं बताया कि अपीलान्ट के पिता के नाम से जारी पट्टा की भूमि कोनसी है और तथाकथित नाजायज कब्जा बताया गया है उससे कितनी दूरी पर है तथा शांति देवी के नाम से जारी पट्टे से कितनी दूर है।

(6) जिस जगह से अपीलान्ट को बेदखल किया गया है वह किस खसरा नम्बर में आती है और सन 1978 से अपीलान्ट उस पर काबिज था तो ऐसी स्थिति में अपीलान्ट जिस जमीन पर काबिज था वो जमीन सौंपे जाने में कोई कानूनी दिक्कत नहीं है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलीय न्यायालय के निर्णय को समझे बिना ही आदेश पारित कर दिया।

(7) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को गिरदावर व हल्का पटवारी की रिपोर्ट पेश होने के पश्चात रिपोर्ट पर नहीं सुना गया और अपने अधीनस्थ राजस्व

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

अधिकारियों से सीमाज्ञान नहीं करवा पाने के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं मांगा गया।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.02.2018 को निरस्त फरमाया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. बहस अपीलान्ट सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि गिरदावर व पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट को जिस भूमि का पट्टा दिया गया था उसके सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई। पट्टा दिनांक 19.12.1978 को 755 वर्गगज भूमि का खसरा नम्बर 359/1 में से ग्राम पंचायत दांतरू द्वारा जारी किया गया था। हल्का पटवारी व गिरदावर ने अपनी रिपोर्ट के पैरा संख्या 3 में यह अंकित किया गया है कि पट्टे का स्थान अंकित नहीं है सिर्फ खसरा नम्बर 359/1 अंकित है तथा मद संख्या 4, 5, 6 में विवाद की विषयवस्तु से सम्बन्धित बातें नहीं लिखकर विभागीय शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए अदालत को गुमराह करने की गरज से अनावश्यक तथ्यों का अंकन किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.02.2018 को निरस्त फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

5. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण का निर्णय बिना तथ्यों का परीक्षण किये पारित किया गया दृष्टिगत होता है। न्यायालय हाज द्वारा पत्र दिनांक 15.10.2019 से तहसीलदार फतेहपुर को अपना पक्ष प्रस्तुत करने बाबत दिनांक 22.10.2019 को उपस्थित होने के लिए लिखा गया था इसके बावजूद भी तहसीलदार फतेहपुर उपस्थित नहीं आये। तहसीलदार फतेहपुर के निर्णय दिनांक 28.02.2018 से यह स्पष्ट नहीं है कि न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 04.12.2017 से प्रकरण प्रतिप्रेषित करने पर अपीलान्ट की पैतृक पट्टेशुदा भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया है या नहीं। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं बताया कि अपीलान्ट के पिता के नाम से जारी पट्टा की भूमि कोनसी है और तथाकथित नाजायज कब्जा बताया गया है उससे कितनी दूरी पर है तथा शांति देवी के नाम से जारी पट्टे से कितनी दूर है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(व्रज मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

6. अतः प्रकरण तहसीलदार फतेहपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण परीक्षण कर सम्बन्धित राजकीय विभागों की समस्त जानकारी प्राप्त कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर **एक माह** के भीतर निस्तारण करें।

7. निर्णय आज दिनांक :**२२अक्टूबर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/10/2019

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर, सीकर
(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner